

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या 56 / 2019 पीठसभिन अधिकारी : श्री अमरकांत 29275 कोयल RAS

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 तैपड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उत्तरान

अधिसूचना 310 अन्तर्गत उद्धारन कर्मचारी वि. अ. शाहपुर

प्रार्थना / प्रार्थनापत्र

दनाम

श्री अमरकांत 29275 कोयल वि. अ. शाहपुर

विक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री अमरकांत 29275 कोयल

श्री अमरकांत 29275 कोयल

दिनांक 30-9-19

निर्णय

प्रार्थना / प्रार्थनापत्र को ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थना / प्रार्थनापत्र के ग्राम 29275 तक का अवलोकन किया शाहपुर / जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 155 है।

कुल कितना रकबा है 1.55 हैक्टर का

प्रार्थना / प्रार्थनापत्र खारोवर / संयुक्त खारोवर कास्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी / विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थना / प्रार्थनापत्र एवं विपक्षी / विपक्षीगण के भ्रम्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः परधरागढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीयत किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तैलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण वादग्रह सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर दहस अभिनायक प्रार्थना / प्रार्थनापत्र सुनी गई। इनमें पत्रावली का एव प्रस्तुत खारो की नकल जमावन्दी ग्राम 29275 से 29277 तक का अवलोकन किया उपर्युक्त दधीत आराजीगत के प्रार्थना / प्रार्थनापत्र खारोवर / संयुक्त खारोवर दर्ज होकर अपनी आराजीगत की परधरागढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना / प्रार्थनापत्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा 29275 में स्थित प्रार्थना / प्रार्थनापत्र की उपरोक्त खारोवर / संयुक्त खारोवर की आराजीगत कितना रकबा है 1.55 हैक्टर की पुख्या परधरागढ़ी पत्रकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचारधीन न हो तो कबले से हस्तक्षेप नहीं करते हुए परधरागढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुर को कनिश्चर नियुक्त किया जाता है। परधरागढ़ी से हेतु कनिश्चर पीस को पर प्राद करे। परधरागढ़ी मौका पर्वा पेश करे। तहसीलदार शाहपुर को सूचित किया जावे।

प्रकारण पंजीयत किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तैलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण वादग्रह सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर दहस अभिनायक प्रार्थना / प्रार्थनापत्र सुनी गई। इनमें पत्रावली का एव प्रस्तुत खारो की नकल जमावन्दी ग्राम 29275 से 29277 तक का अवलोकन किया उपर्युक्त दधीत आराजीगत के प्रार्थना / प्रार्थनापत्र खारोवर / संयुक्त खारोवर दर्ज होकर अपनी आराजीगत की परधरागढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना / प्रार्थनापत्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा 29275 में स्थित प्रार्थना / प्रार्थनापत्र की उपरोक्त खारोवर / संयुक्त खारोवर की आराजीगत कितना रकबा है 1.55 हैक्टर की पुख्या परधरागढ़ी पत्रकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचारधीन न हो तो कबले से हस्तक्षेप नहीं करते हुए परधरागढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुर को कनिश्चर नियुक्त किया जाता है। परधरागढ़ी से हेतु कनिश्चर पीस को पर प्राद करे। परधरागढ़ी मौका पर्वा पेश करे। तहसीलदार शाहपुर को सूचित किया जावे।



अधिकारी एवं

शाहपुर (भीलवाड़ा)

प्रतिनिधि-तहसीलदार, शाहपुर / पास भेजकर लेख है कि भूतार्थिक आदेश पत्रकारान की मौजूदगी में निम्नानुसार परधरागढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

शाहपुर (भीलवाड़ा)